



परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में सैक्टर-2 एवं 3 में भूखण्डों का "लाटरी ड्रा" द्वारा पात्रता चयन हेतु आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के सैक्टर-2 एवं सैक्टर-3 में भूखण्डों हेतु दिनांक 15.04.2021 से दिनांक 14.06.2021 तक खोले गये विभिन्न मानक भूखण्डों के विरुद्ध ऑनलाईन/ऑफलाईन पंजीकरण के अन्तर्गत प्राप्त आवेदकों के मध्य शासनादेश/परिषद आदेशों के अनुसार आरक्षण निर्धारित करते हुए आवंटन समिति द्वारा परिषद के वसुन्धरा योजना के सैक्टर-16 स्थित सैन्ट्रल मार्केट के प्रथम तल हॉल में दिनांक 03.02.2023 एवं 04.02.2023 तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रातः 11.00 बजे से समाप्ति तक पात्रता चयन किया जाना प्रस्तावित है।

योजना का नाम	सैक्टर	मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग0मी0 में)	भूखण्डों की संख्या	प्रस्तावित दिनांक	समय
जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ	3	127.50	101	दिनांक 03.02.2023	प्रातः 11.00 बजे से
	3	200.00	20		
	2	200.00	130	दिनांक 04.02.2023	प्रातः 11.00 बजे से
	3	136.00	18		
	3	264.50	12		
	3	300.00	26		

नोट:- 1- उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि पर निश्चित वर्ग के पात्र आवेदक लाटरी ड्रा स्थल पर पंजीकरण प्राप्ति मूल स्लिप एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-5 के बिन्दु 1 के अनुसार एकमुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी। लाटरी ड्रा सर्वप्रथम एकमुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात् भूखण्ड अवशेष रहते हैं तो किशतों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक ड्रा से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि वैध आवेदकों की सूची आवंटन तिथि से एक दिन पूर्व परिषद कार्यालय परिसर में चस्पा कर दी जायेगी। यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति हो तो आवंटन दिनांक से एक दिन पूर्व ही अपनी आपत्ति का निराकरण परिषद नियमानुसार करा सकते हैं। 2- वैध/अवैध आवेदकों की संख्या घट-बढ़ सकती है। 3- लाटरी ड्रा का परिणाम दिनांक 06.02.2023 के पश्चात् परिषद की वेबसाईट "www.upavp.in, Public Notice" पर उपलब्ध होगा।

आवास आयुक्त